

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 320/2024

अनवान : -

1. शंकरलाल पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कैलाश पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. मोहित पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5. तुलछा देवी पत्नी हरदत जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सुन्दर पुत्री हरदत पत्नी सुनील जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर।
7. गुडी देवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. बलवीर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. सुमन पत्नी रजिन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
10. विकास पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. कृष्णा पुत्री सुरजाराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. मोनिका पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. सोनू पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 15/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 168/150 के कुल खसरे 34 की कुल तादादी 6. 3250 है0 भूमि व 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2078 के खाता संख्या



al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

240/234 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि व खाता संख्या 171/154 के कुल खसरे 11 की कुल 2.2770 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिसको वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे हैं तथा रकम राज अदा करते आ रहे हैं। प्रतिवादीया संख्या 11 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 12 व 13 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 11 ता 13 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 6 आरपीएम के प0 नं0 303/389 (13) किला नं. 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 5/3 की 0.2020 है0, 6/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.2280 है0 प0 नं0 303/388 (4) के किला नं. 25/1 की 0.0380 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.2150 है0 प0 नं0 304/388 (3) किला नं. 19 ता 22 की 1.012 है0, 18 की 0.145 है0, 23 की 0.146 है0 कुल तादादी 2.062 है0 भूमि गै0 मु0 रास्ता 0.063 है0, गै0 मु0 खाला 0.051 है0 जिसमें से 1/8 हिस्सा पर प्रतिवादीया संख्या 7 काबिज है तथा 7/16 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है व 7/16 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 9 व 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के 305/389 (20) के किला नं. 1/1 की 0.0380 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2150 है0, 2/1 की 0.0380 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2150 है0, प0 नं0 305/388 (9) किला नं. 11, 12, 19, 20 की 1.012 है0, 22 की 0.253 है0, 13 की 0.122 है0, 18 की 0.122 है0, 23 की 0.122 है0 कुल तादादी 2.137 है0 गै0 मु0 रास्ता-0.076 है0 जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 6 आरपीएम के प0 नं0 304/389 (14) के किला नं. 1/1 की 0.0380 है0 गै0 मु0 रास्ता,, 1/2 की 0.1700 है0,, 10 की 0.200 है0, 11 की 0.200 है0 प0 नं0 304/388 (3) किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है0, 18 की 0.108 है0, 23 की 0.107 है0 कुल तादादी 1.835 है0 गै0 मु0 रास्ता-0.038 जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के प0 नं0 305/388 (9) के किला नं. 21 की 0.2530 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं 5 आरपीएम के प0 नं0 305/388 (9) के किला नं. 14, 15, 16, 17, 24, 25 की 1.518 है0, 13 की 0.131 है0, 18 की 0.131 है0, 23 की 0.131 है0 कुल तादादी 1.911 है0 भूमि व रोही मौजा 6 आरपीएम के प0 नं0 304/389 (14) किला नं. 1/2 की 0.045 है0, 2/1 की 0.038 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2150 है0, 3/1 की 0.038 गै0 मु0 रास्ता, 3/2 की 0.2150 है0, 4/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.2150 है0, 5/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2150 है0, 6, 7, 8, 9, 12 की 1.265 है0, 10 की 0.053 है0, 11 की 0.053 है0 कुल तादादी 2.428 है0 भूमि गै0 मु0 रास्ता-0.152 है0 जिसमें वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 ब0 हि0

९१

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ब० काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि पक्षकारान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है पक्षकारान का बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं मुताबिक बंटवारा ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 168/150 के कुल खसरे 34 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि व 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 240/234 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है० भूमि व खाता संख्या 171/154

के कुल खसरे 11 की कुल 2.2770 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि पक्षकारान मुताबिक बाहमी बंटवारा उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवाना चाहते है एवं प्रतिवादीगण संख्यसा 11 ता 13 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 240/234 की कुल 2.024 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 171/154 की कुल 2.2770 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 168/150 की कुल 6.3250 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर मौजा 6 आरपीएम के प० नं० 303/389 (13) किला नं. 5/1 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.0260 है० गै० मु० खाला, 5/3 की 0.2020 है०, 6/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 6/2 की 0.2280 है० प० नं० 303/388 (4) के किला नं. 25/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 25/2 की 0.2150 है० प० नं० 304/388 (3) किला नं. 19 ता 22 की 1.012 है०, 18 की 0.145 है०, 23 की 0.146 है० कुल तादादी 2.062 है० भूमि जिसमें से 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 7/16 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 7/16 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के 305/389 (20) के किला नं. 1/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.2150 है०, 2/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.2150 है०, प० नं० 305/388 (9) किला नं. 11, 12, 19, 20 की 1.012 है०, 22 की 0.253 है०, 13 की 0.122 है०, 18 की 0.122 है०, 23 की 0.122 है० कुल तादादी 2.137 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 6 आरपीएम के प० नं० 304/389 (14) के किला नं. 1/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.1700 है०, 10 की 0.200 है०, 11 की 0.200 है० प० नं० 304/388 (3) किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है०, 18 की 0.108 है०, 23 की 0.107 है० कुल तादादी 1.835 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के प० नं० 305/388 (9) के किला नं. 21 की 0.2530 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के प० नं० 305/388 (9) के किला नं. 14, 15, 16, 17, 24, 25 की 1.518 है०, 13 की 0.131

अ
उपखण्ड अधिकारी
मेरा

है0, 18 की 0.131 है0, 23 की 0.131 है0 कुल तादादी 1.911 है0 भूमि व रोही मौजा 6 आरपीएम के प0 नं0 304/389 (14) किला नं. 1/2 की 0.045 है0, 2/1 की 0.038 है0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2150 है0, 3/1 की 0.038 है0 मु0 रास्ता, 3/2 की 0.2150 है0, 4/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.2150 है0, 5/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2150 है0, 6, 7, 8, 9, 12 की 1.265 है0, 10 की 0.053 है0, 11 की 0.053 है0 कुल तादादी 2.428 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शीर्षक दर्ज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का नाम सुन्दर उर्फ सुन्दरी की बजाये सुन्दर पुत्री हरदत पत्नी सुनील निवासी निरवाल तहसील रावतसर दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 320/2024

अनवान : -

1. शंकरलाल पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कैलाश पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. मोहित पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5. तुलछा देवी पत्नी हरदत जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सुन्दर पुत्री हरदत पत्नी सुनील जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर।
7. गुडी देवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. बलवीर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. सुमन पत्नी रजिन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
10. विकास पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. कृष्णा पुत्री सुरजाराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. मोनिका पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. सोनू पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 330 सन 2024 निर्णय दिनांक - 15/05/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 240/234 की कुल 2.024 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 171/154 की कुल 2.2770 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 6 आरपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 168/150 की कुल 6.3250 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 का नाम कलमजन किया जाकर मौजा 6 आरपीएम के प0 नं0 303/389 (13) किला नं. 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 5/3 की 0.2020 है0, 6/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.2280 है0 प0 नं0 303/388 (4) के किला नं. 25/1 की 0.0380 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 की 0.2150 है0 प0

al

उपखण्ड अधिकारी

नं० 304/388 (3) किला नं. 19 ता 22 की 1.012 है०, 18 की 0.145 है०, 23 की 0.146 है० कुल तादादी 2.062 है० भूमि जिसमें से 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 7 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा 7/16 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व 7/16 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को ब० हि० ब० के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के 305/389 (20) के किला नं. 1/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.2150 है०, 2/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.2150 है०, प० नं० 305/388 (9) किला नं. 11, 12, 19, 20 की 1.012 है०, 22 की 0.253 है०, 13 की 0.122 है०, 18 की 0.122 है०, 23 की 0.122 है० कुल तादादी 2.137 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं 6 आरपीएम के प० नं० 304/389 (14) के किला नं. 1/1 की 0.0380 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.1700 है०, 10 की 0.200 है०, 11 की 0.200 है० प० नं० 304/388 (3) किला नं. 16, 17, 24, 25 की 1.012 है०, 18 की 0.108 है०, 23 की 0.107 है० कुल तादादी 1.835 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के प० नं० 305/388 (9) के किला नं. 21 की 0.2530 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 आरपीएम के प० नं० 305/388 (9) के किला नं. 14, 15, 16, 17, 24, 25 की 1.518 है०, 13 की 0.131 है०, 18 की 0.131 है०, 23 की 0.131 है० कुल तादादी 1.911 है० भूमि व रोही मौजा 6 आरपीएम के प० नं० 304/389 (14) किला नं. 1/2 की 0.045 है०, 2/1 की 0.038 गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.2150 है०, 3/1 की 0.038 गै० मु० रास्ता, 3/2 की 0.2150 है०, 4/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 की 0.2150 है०, 5/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.2150 है०, 6, 7, 8, 9, 12 की 1.265 है०, 10 की 0.053 है०, 11 की 0.053 है० कुल तादादी 2.428 है० भूमि का वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 को ब० हि० ब० के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शीर्षक दर्ज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का नाम सुन्दर उर्फ सुन्दरी की बजाये सुन्दर पुत्री हरदत पत्नी सुनील निवासी निरवाल तहसील रावतसर दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर